

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग


क्रमांक प.9(13)राज-6/2010/18

जयपुर, दिनांक :- 2.8.11

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा-260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.6(2)राज/6/91/24 दिनांक 4-11-92 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,


(मूल चन्द मीणा) 2/8/11
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
- 2 वि० सहायक, मा० राजस्व० मंत्री महोदय, राजस्थान।
- 3 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
- 5 समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 6 समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
- 7 निबंधक, राजस्व मण्डल, राज० अजमेर।
- 8 निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
- 9 निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 2.8.11 में प्रकाशनार्थ।
- 10 "राविरा" राजस्व मण्डल, राज० अजमेर।
- 11 संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली।
- 12 उप निबंधक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर।
- 13 समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
- 14 रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव 2/8/11